न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द्र जैन आई.ए.एस.

रसद विविध :: 12/2018 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली		रमेश कुमावत पुत्र श्री वोराराम निवासी शेखावत नगर, पुनायता रोड़, पाली हाल मालिक मै. श्री सांई गैस रिपेयरिंग सेंटर, शेखावत नगर, पुनायता रोड़, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार अनुपस्थित

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 26/8/19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म मैसर्स श्री सांई गैस रिपेयरिंग सेंटर, शेखावत नगर, पुनायता रोड़, पाली, जिला पाली (राज.) से वक्त निरीक्षण दिनांक 13.04.2018 को मौके पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.200 किग्रा) जिनमें 3 इण्डेन कम्पनी के जिनमें क्रमशः 14.45 किग्रा, 14.18 किग्रा व 14.05 किग्रा तथा 3 एच.पी. कम्पनी के जिनमें क्रमशः 13.66 किग्रा, 2.57 किग्रा व 14.11 किग्रा गैस भरी हुई व एक इण्डेन कम्पनी व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) जिसमें 19.00 किग्रा गैस भरी हुई एवं 4 पैट्रोमेक्स (5 किग्रा), एक रिफलींग नली तथा एक गैस भरने की मशीन का अवैध संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया कि दिनांक 13.04.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु वह सुश्री भावना दयाल, प्रवर्तन निरीक्षक रानी के साथ पाली शहर में ही स्थित मैसर्स श्री सांई गैस रिपेयरिंग सेंटर, पाली पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी रमेश कुमावत पुत्र वोराराम उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही प्रतिष्ठान का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री रमेश देवासी पुत्र कानाराम देवासी निवासी न्यू प्रताप नगर, पाली एवं श्री लक्ष्मणकुमार पुत्र श्री कैलाश निवासी पंचम नगर, पाली की उपस्थिति में फर्म की जांच करने पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.200 किग्रा) जिनमें 3 इण्डेन कम्पनी के जिनमें क्रमशः 14.45 किग्रा, 14.18 किग्रा व 14.05 किग्रा तथा 3 एच.पी. कम्पनी के जिनमें क्रमशः 13.66 किग्रा, 2.57 किग्रा व 14.11 किग्रा गैस भरी हुई व एक इण्डेन कम्पनी व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) जिसमें 19.00 किग्रा गैस भरी हुई एवं 4 पैट्रोमेक्स (5 किग्रा), एक रिफलींग नली तथा एक गैस भरने की मशीन पाई गयी। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज

जिला कलेक्टर, पाली

मांगने पर भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस, पाली के प्रतिनिधी से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री प्रतापसिंह पुत्र अर्जुनसिंह निवासी 222–डी, कमला नेहरू नगर, जोधपुर हाल प्रोपराईटर मैसर्स लक्ष्मी इण्डैन गैस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा सिलेण्डर मय गैस एवं अन्य सामग्री को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब को ही बहस बताते हुए हाजिर अदालत अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जिला रसद विभाग पाली के प्रवर्तन निरीक्षक ने उसकी दुकान से सिलेण्डर जब्त न कर उसके रहवासीय मकान से जब्त किए है, जो गलत तरिके से की गई कार्यवाही है, उनमें से दो सिलेण्डर उसके घरेलू कनेक्शन के है तथा एक सिलेण्डर उसका न होकर उसके मिलने वाले वागाराम पुत्र भीकाराम है तथा दो एच.पी. कम्पनी के सिलेण्डर, कम्पनी का टेम्पो खराब हो जाने के कारण, वितरण करने वाले व्यक्ति ने उसके यहां पर रखे थे, जो उनके पड़ोसियों के है। प्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही बिना पुछताछ एवं जानबुझकर गलत तरिके से की है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जब्त सुदा सामग्री के संबंध में विनम्र भाव रखते हुए सिलेण्डर रिलीज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.200 किग्रा) जिनमें 3 इण्डेन कम्पनी के जिनमें क्रमशः 14.45 किग्रा, 14.18 किग्रा व 14.05 किग्रा तथा 3 एच.पी. कम्पनी के जिनमें क्रमशः 13.66 किग्रा, 2.57 किग्रा व 14.11 किग्रा गैस भरी हुई व एक इण्डेन कम्पनी व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) जिसमें 19.00 किग्रा गैस भरी हुई एवं 4 पैट्रोमेक्स (5 किग्रा), एक रिफलींग नली तथा एक गैस भरने की मशीन अप्रार्थी के व्यावसायिक परिसर मैसर्स श्री सांई गैस रिपेयरिंग सेंटर, शेखावत नगर, पुनायता रोड, पाली, जिला पाली (राज.) से जब्त की, उक्त जब्तसुदा सामग्री की फर्द जब्ती पर अप्रार्थी व सुपुर्ददार निरीक्षक सभी के हस्ताक्षर है। प्रार्थी को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से घरेलू गैस के

जिला कलेक्टर, पाली

सिलेण्डर प्राप्त हुए है। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र एवं गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष बक्त निरीक्षण पेश नहीं किए गए तथा न ही इस संबंध में न्यायालय में अपने जवाब के साथ कोई दस्तावेज पेश किए गए है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी की दूकान से प्राप्त सिलेण्डर को घरेलू उपयोग नहीं लिए जाकर, उनका अपने प्रतिष्ठान में व्यावसायिक उपयोग करता था। जो विधी विरूद्ध कृत्य है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जब्ती उसकी दुकान से न कर, उसके आवास की है, लेकिन पत्रावली संलग्न फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जब्त सामग्री उसके आवास से जब्त न की जाकर उसके प्रतिष्ठान से जब्ती की गई है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से सिर्फ घरेलु गैस सिलेण्डर ही जब्त नहीं किए गए, बल्कि एक व्यावसायिक सिलेण्डर व 4 पैट्रोमेक्स, एक रिफलींग नली एवं एक गैस भरने की मशीन भी प्राप्त हुई है, इतने सारे सिलेण्डर उसके स्वयं के नहीं हो सकते तथा सिलेण्डर के साथ पाई गई अन्य सामग्री से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर अवैध गैस रिफलींग का व्यावसाय करता है। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थी श्री रमेश कुमावत द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से उसके पास से जब्तसुदा सामग्री को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.200 किग्रा) जिनमें 3 इण्डेन कम्पनी के जिनमें क्रमशः 14.45 किग्रा, 14.18 किग्रा व 14.05 किग्रा तथा 3 एच.पी. कम्पनी के जिनमें क्रमशः 13.66 किग्रा, 2.57 किग्रा व 14.11 किग्रा गैस भरी हुई व एक इण्डेन कम्पनी व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) जिसमें 19.00 किग्रा गैस भरी हुई एवं 4 पैट्रोमेक्स (5 किग्रा), एक रिफलींग नली तथा एक गैस भरने की पाई गई मशीन को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि समस्त जब्तसुदा सामग्री सुपुर्ददार से प्राप्त कर घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में कम्पनी द्वारा निर्धारित दर पर कीमतन प्रदान करवाकर उससे प्राप्त राशि एवं अन्य सामग्री को नीलाम कर उससे प्राप्त समस्त राशि राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 26/8/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली